भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2280
दिनांक 01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आशा कार्यकर्ताओं का कल्याण

2280. श्री दिनेश चंद्र यादवः
श्री गिरिधारी यादवः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2005 से देश में आशा कार्यकर्ताओं के कल्याण हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम का नाम क्या है;
(ख) क्या सरकार का वर्तमान में आशा कार्यकर्ताओं को और अधिक प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का इस प्रोत्साहन को वेतनभोगी वर्ग के कर्मचारी के रूप में नाम देने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) वर्तमान में आशा कार्यकर्ताओं को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) का लक्ष्य लोगों की आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी, न्यायसंगत, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्य तक सार्वभौमिक सुलभता सुनिश्चित करना है। एनएचएम में इसके दो उप-मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) शामिल हैं। इसके मुख्य कार्यक्रम घटकों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, प्रजनन-मातृ-नवजात-शिशु एवं किशोर स्वास्थ्य (आरएमएनसीएच+ए), और संचारी एवं गैर-संचारी रोग शामिल हैं।

आशाकर्मी को सहायता सहित जन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। एनएचएम के अंतर्गत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में उल्लिखित आवश्यकताओं और समग्र संसाधन सीमा के आधार पर प्रदान की जाती है।

आशाकर्मी को सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक माना जाता है और वे कार्य/कार्यकलाप आधारित प्रोत्साहन पाने की पात्र हैं। आशाकर्मी को नियमित और आवर्ती गतिविधियों के लिए ₹3500/- प्रति माह का

एक निश्चित मासिक प्रोत्साहन मिलता है, जिसे हाल ही में दिनांक 4 मार्च, 2025 को आयोजित मिशन संचालन समूह (एमएसजी) की 9वीं बैठक में ₹2000/- प्रति माह से संशोधित किया गया है।

आशाकर्मी को विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत विविध कार्यकलापों के लिए प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं, जिनमें से कुछ को हाल ही में मिशन संचालन समूह (एमएसजी) की 9वीं बैठक में संशोधित किया गया है। इन आशा प्रोत्साहनों का विवरण निम्नलिखित यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) पर उपलब्ध है:

https://nhm.gov.in/New-update-2024-25/ASHA/ASHA-Incentives-July-2025.pdf

आयुष्मान आरोग्य मंदिर के शुभारंभ के बाद, आशाकर्मी, निगरानी किए गए निष्पादन संकेतकों (प्रति माह ₹1000 तक) के आधार पर एएनएम के साथ-साथ टीम आधारित प्रोत्साहन (टीबीआई) के लिए भी पात्र हैं। आशाकर्मी गैर-मौद्रिक प्रोत्साहनों जैसे - आशाकर्मी, पहचान पत्र, साइकिल, मोबाइल, सीयूजी सिम, आशा डायरी, दवा किट, आशा विश्राम कक्ष आदि की भी हकदार हैं।

सरकार ने 4 मार्च, 2025 को आयोजित मिशन संचालन समूह (एमएसजी) की 9वीं बैठक में सम्मान राशि को ₹20,000/- से संशोधित करके ₹50,000/- करने को भी मंजूरी दी है और न्यूनतम 10 वर्षों तक आशाकर्मी के रूप में कार्य करने के बाद कार्यक्रम छोड़ने वाली आशाकर्मी को उनके योगदान के सम्मान में एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा।

वर्ष 2018 में, आशाकर्मी के महत्वपूर्ण योगदान और प्रतिबद्धता को मान्यता देते हुए आशा लाभ पैकेज शुरू किया गया था। यह पैकेज निम्नलिखित के लिए कवरेज प्रदान करता है:

- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) जिसमें बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर ₹2.00 लाख का लाभ मिलेगा (वार्षिक प्रीमियम भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा)।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) जिसमें आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर ₹2.00 लाख का लाभ मिलेगा; आंशिक विकलांगता पर ₹1.00 लाख (वार्षिक प्रीमियम भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा)।

इसके अतिरिक्त, आशाकर्मी के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000/- प्रति माह पेंशन लाभ (प्रीमियम का 50% भारत सरकार द्वारा और 50% लाभार्थियों द्वारा दिया जाएगा) के साथ प्रधानमंत्री श्रम योगी मान निधि (पीएम-एसवाईएम) भी उपलब्ध है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आशाकर्मी को निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार उपर्युक्त सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकित किया गया है।

इसके अलावा, आशाकर्मी और उनके परिवार के सदस्यों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाता है।

*****